

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त, 2018

सा.का.नि. (अ)- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 40/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 20 अगस्त, 2018, जिसे सा.का.नि. 787 (अ), दिनांक 20 अगस्त 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में पृष्ठ 1 पर पंक्ति संख्या 14 में, "2941 90 60" के स्थान पर, "2941 90 90", पढ़ा जाए;

[फा.सं. 354/59/2018-टीआरयू.]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार